''सपनों से अपनों तक'' परियोजना शुरू करने के प्रयोजनार्थ ''माई होम इंडिया'' नामक सामाजिक संगठन द्वारा 25 जून, 2016 को आयोजित समारोह में माननीय अध्यक्ष महोदया का भाषण।

1. मुझे यहां ''माई होम इंडिया'' नामक राष्ट्रीय सामाजिक संगठन द्वारा बेसहारा एवं बिछड़े हुए बच्चों के कल्याण के लिए **''सपनों से अपनों तक''** नामक परियोजना शुरू करने के लिए आयोजित इस समारोह में आप सबके बीच आकर बहुत खुशी हो रही है। मैं इस अवसर पर आयोजकों का धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने मुझे यहां बुलाया और इस गंभीर चिंताजनक मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया।

2. मुझे यह जानकर खुशी हुई कि 'माई होम इंडिया' बेसहारा एवं बिछड़े हुए बच्चों को हर संभव सहायता देकर इस पावन कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। 'माई होम इंडिया' की जिस प्रशंसनीय पहल के लिए हम यहाँ एकत्र हुए हैं उस योजना का नाम 'सपनों से अपनों तक' है जिसका उद्देश्य बच्चों का फिर से उनके माता–पिता से मिलाना है। इस संगठन का यह विश्वास बिल्कुल सही है कि बच्चे का भविष्य उसके माता–पिता के पास ही सर्वाधिक सुरक्षित होता है।

3. ''माई होम इंडिया'' देश भर में परिवारों और बच्चों को भावनात्मक रूप से जोड़कर बेसहारा बच्चों की सेवा में अथक और बड़े उत्साह से कार्य करता रहा है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों और देश के शेष भाग के बीच एक बेहतर समझ कायम करने और भाईचारे की भावना विकसित करने के इस संगठन के प्रयास भी उतने ही सराहनीय हैं। यह उल्लेखनीय है कि इस कार्य को अपना लक्ष्य मानकर और इसे पूरा करने के उद्देश्य के साथ चलकर 'माई होम इंडिया' ने तीन वर्ष की छोटी से अवधि में अभी तक 1030 खोए हुए बच्चों को अपने माता–पिता से मिलवाया है। इनमें

238 लड़कियां एवं 792 लड़के हैं। 25 बच्चे नेपाल एवं 4 बच्चों को बांग्लादेश में उनके परिवार से मिलवाया गया। 2020 के अंत तक उनका लक्ष्य कम–से–कम सवा लाख खोए हुए बच्चों को उनके परिवारों तक पहुंचाने का है। यह इस संस्था के सदस्यों के लिए निश्चित रूप से यह गर्व की बात है। इस कार्य में उन्हें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय तथा रेल मंत्रालय से अपेक्षित सहयोग मिला है।

4. इसमें कोई संदेह नहीं कि सरकार के साथ–साथ सामाजिक कार्यकर्ता, जनसेवक, छात्र/छात्राएं, प्रेस जैसे सामाजिक संगठन और समाज के विभिन्न हिस्सों से जुड़े लोग सामाजिक कल्याण और जनहित के उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। समय की मांग है कि हर जगह पीड़ित लोगों के लिए समाज में एक करुणा की भावना जगाई जाए। हमारे जीवन का उद्देश्य अपने हित से ऊपर उठकर सेवा की भावना होना चाहिए। यही एक रास्ता है जिसके माध्यम से हम सामाजिक समस्याओं और बुराइयों से लड़ सकते हैं और अपने देश के समग्र विकास में योगदान दे सकते हैं।

5. जैसा कि हम जानते हैं कि देश के अधिकतर भागों में बहुत से बच्चों को गरीबी, भूखमरी, अज्ञानता और शिक्षा के अभाव आदि के कारण बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है। उन्हें कई सामाजिक और आर्थिक समस्याओं से भी जूझना पड़ता है। दूसरी ओर, बच्चों को युद्ध, आतंकवाद, सामाजिक विरोधों आदि जैसे मानव निर्मित आपदाओं एवं प्राकृतिक आपदाओं की मार भी झेलनी पड़ती है। मानव निर्मित या प्राकृतिक, सभी आपदाओं का सर्वाधिक दुष्प्रभाव प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बच्चों एवं महिलाओं पर पड़ता है। मानव तस्करी, नशीले पदार्थ भी अनेक ऐसे कारण हैं जो निर्दोष बच्चों के विस्थापन के लिए जिम्मेदार हैं।

6. ऐसा अनुमान है कि भारत के लगभग 40 प्रतिशत बच्चे असुरक्षा की चपेट में हैं या विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक और भू–राजनैतिक स्थितियों से पैदा हुई कठिन

परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। यदि ऐसे बच्चों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाएगा या उन्हें सुरक्षा और सहायता प्रदान नहीं की जाएगी तो एक कल्याणकारी राज्य स्थापित करने की हमारी इच्छा मात्र एक सपना ही रह जाएगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि ऐसे बच्चों के लिए आधार को मजबूत किया जाए और उन्हें मुख्य धारा में शामिल किया जाए।

7. हमारे में देश में बच्चों के अपने माता–पिता से बिछड़ जाने के कई कारण होते हैं। इनमें कुछ प्रमुख कारण बाल तस्करी, गरीबी एवं परिवार में कलह है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार, इस प्रकार बेसहारा हुए बच्चों की बड़े पैमाने पर तस्करी होती हैं एवं उन्हें घरेलू नौकर, बन्धुआ मज़दूर एवं भिखारी बनने पर मजबूर किया जाता है। पूरे विश्व में 13 प्रतिशत बच्चे बाल श्रम में फंसे हुये हैं। एशिया में 44.6 लाख अफ्रीका में 23.6 लाख और लैटिन अमेरिका में 5.1 लाख 10–11 वर्ष उम्र के बच्चे इस कुचक्र में हैं। भारत में 14.4 प्रतिशत बच्चे बाल श्रमिक हैं। यहां तक कि उनका शारीरिक शोषण भी किया जाता है। आजकल एक नया चलन यह देखने में आया है कि वे इन बच्चों का इस्तेमाल आतंकवादी गतिविधि संचालित करने एवं ड्रग तस्करी में भी कर रहे हैं।

8. बालक–बालिकाओं के यौन व्यापार में डाले जाने एवं उनके शोषण की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। एक आंकड़े के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष लगभग 2 लाख बच्चे चोरी हो रहे हैं। विषम आर्थिक परिस्थितियों एवं शिक्षा की कमी के कारण उनमें जागरूकता की कमी होती है और वे हिंसक, क्रूर, अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार झेलने के लिए मजबूर हो जाते हैं।

9. अतंर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे विश्व में प्रतिवर्ष लगभग 6 लाख बच्चों को जबर्दस्ती भिक्षावृति में धकेल दिया जाता है। आईएलओ की रिपोर्ट के

अनुसार प्रति वर्ष लैटिन अमेरिका से साढ़े पांच लाख बच्चों एवं अफ्रीका से दो लाख बच्चों एवं एशिया से ढाई लाख बच्चों की तस्करी होती है। इस प्रकार, वैश्विक स्तर पर बाल तस्करी एक अत्यन्त गंभीर समस्या है।

10. 8 जुलाई 2015 की नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में 36 प्रदेश/केन्द्र शासित प्रदेश एवं 53 बड़े शहरों में किये गये अध्ययन का विवरण कंपा देने वाला है। बच्चों पर क्राइम की संख्या 89423 दर्ज है जिसकी दर 20.1 प्रतिशत है; जो कि एक समाज के लिये बहुत चौंकाने वाला तथ्य है। हयूमन ट्रैफिकिंग के 5466 मामले रिकार्ड में हैं, ऐसे ही शारीरिक व्यापार, बाल मजदूरी एवं अन्य गलत जगह पर कई मासूम दयनीय एवं नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं।

11. यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि किस प्रकार उनको तस्करी के चंगुल से मुक्त कराया जाए, साथ ही उनका प्रभावी ढंग से पुनर्वास किया जाए ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो जाए। बालगृह में उनके लालन–पालन में सभी समुचित सुविधाएं दिए जाने के अतिरिक्त उन पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इस बात की पूरी संभावना है कि बचाव के बाद यदि उनका समुचित ध्यान नहीं रखा जाएगा तो वे फिर से उसी खतरे का शिकार बन सकते हैं। मेरा मानना है कि ऐसे बच्चों के प्रति हम सबका यह दायित्व बनता है कि उन्हें बेहतर जीवन दें। यह हमारा कर्त्तव्य है कि हम उनके बचपन को सुरक्षित बनाये, उनके अधिकार संरक्षित रखते हुए उनका भविष्य को भी सुरक्षित बनाएं, जिससे उनका पूरा व्यक्तित्व निखर सके।

12. एक अंग्रेजी कहावत है कि "Child is the father of man." अतः, हर सभ्य समाज का पहला लक्ष्य बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना होता है। यदि हम वर्तमान को अंधेरे के गर्त में छोड़ देंगे, तो फिर हम कैसे बेहतर भविष्य की उम्मीद कर सकते हैं? जो बच्चे अपने परिवार के बीच पलते–बढ़ते हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होती है,

उनका स्वास्थ्य बेहतर होता है, वे पढ़ाई में भी आगे रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे बच्चे व्यवहार कुशल भी होते हैं तथा समाज मे बड़ी आसानी से घुल–मिल जाते हैं।

13. बच्चे किसी भी समाज की पूंजी होते हैं। यदि हम उनके प्रति उदासीन रवैया अपनाते हैं एवं उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों का, उनके बेहतरी के लिए, उनके स्वास्थ्य एवं अच्छी शिक्षा जैसे क्षेत्र पर ध्यान नहीं देते हैं तो भविष्य में इस देश का नेतृत्व कैसे हाथों में दे पाएंगे। यदि हम स्थायी शांति स्थापित करना चाहते हैं तो हमें बच्चों के साथ शुरूआत करनी होगी।

14. मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि बच्चों की परवरिश पर उनका भविष्य निर्भर करता है। प्रेम, स्नेह, खुशी और आनंद ऐसे पैमाने हैं जिन पर संतुलित एवं बौद्धिक व्यक्तित्व निर्मित होता है जिनमें सभी के प्रति respect, love and compassion जैसे मानवीय गुण विकसित होते हैं। अतः, यह सुनिश्चित होना चाहिए कि हर बच्चे को समुचित emotional care and support मिले। जैसा emotional bond हम विकसित करेंगे, वैसा ही हम उनसे पाएंगे। इस मामले में, बच्चों के जीवन में अभिभावकों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है।

15. इसमें कोई संदेह नहीं कि स्वस्थ, सुरक्षित, शिक्षित और सुविकसित बच्चे ही हमारे देश की ताकत हैं जो आगे जाकर देश के उपयोगी नागरिक बनेंगे। हमारी सरकार का उद्देश्य है कि वह बच्चों को अच्छी और उपयोगी नीतियों तथा कार्यक्रमों के द्वारा, उन्हें अपने अधिकारों के बारे मे जागरुक बनाकर एवं शिक्षा, पोषण, संस्थान और विधायी सहायता प्रदान कर, सुरक्षित और संरक्षित माहौल मे उचित लालन–पालन देकर, उनका समुचित विकास करे। फिर भी, चाहे हमारा व्यवसाय या कार्यक्षेत्र, जो भी हो, हम सबको भी सरकार के प्रयासों में सहयोग करना होगा।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की Fostering Scheme है। यह एक अच्छा प्रयत्न है। अब JJ Act में विदेशों की तरह कोई भी किसी बच्चे को शिक्षा व लालन–पालन की जिम्मेदारी लेकर इसके तहत कोई भी घर में रख सकेगा। इस साल से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ऐसे परिवारों को 2 हजार रूपए प्रतिमाह दे रहा है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मध्य प्रदेश में 3 हजार बच्चे Foster Care में चले गए हैं। यह Adoption से अलग है। लेकिन इससे कई बच्चों को एक सुरक्षित, निश्चित बचपन मिलेगा।

16. महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं दूरसंचार मंत्रालय का एक मिला जुला प्रयास असहाय एवं बिछड़े हुए बच्चों की रक्षा के लिए हेल्पलाइन विकसित करने का है। आज 1098 नामक हेल्पलाइन है जिस पर हम किसी ऐसे बच्चे, जिसे सहायता की आवश्यकता है, के लिए फोन कर सकते हैं। इससे बच्चों को उत्पीड़न एवं शोषण से बचाया जा सकता है। यह देश के 34 राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों में 366 शहरों/जिलों में कार्यरत है।

17. मेरे मन में एक विचार आया है कि आज के इंटरनेट के युग में क्या कोई ऐसी वेबसाइट है जिस पर देश के सभी बालगृहों, बालक/बालिकाओं के हितार्थ काम करने वाली संस्थाओं/एनजीओ में आश्रय लिए हुए बालक/बालिकाओं की जानकारी फोटो/वीडियो क्लिपिंग सहित संग्रहित है? यदि नहीं, तो मैं यह सरकार से और तमाम संस्थाओं से यह आग्रह करूंगी कि इसे तुरंत क्रियान्वित किया जाए। आशा है, ऐसा करने से उन्हें अपने परिजनों तक पहुंचाने में काफी सुविधा होगी। परिजन स्वयं भी उस वेबसाइट के माध्यम से अपने बच्चों को ढूंढने का प्रयास कर सकेंगे। इस वेबसाइट पर किसी को भी किसी बच्चे के खोने की सूचना फोटो सहित अपलोड करने की सुविधा भी होनी चाहिए। और मैं सरकार से यह भी आग्रह करूंगी कि इस वेबसाइट पर इन्फॉरमेशन को डालना अनिवार्य किया जाए।

18. मुझे यह भी जानकर खुशी हुई है कि देश में विशिष्ट स्थान रखने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र को शेष भारत के साथ जोड़ने के लिए देश के सामाजिक सांस्कृतिक, भौगोलिक तथा राजनैतिक परिदृश्य में माई होम इंडिया जी जान से मेहनत कर रहा है।

19. मैं **'सपनों से अपनों तक'** योजना शुरू करने के लिए ***''माई होम इंडिया''*** को बधाई देती हूं और कामना करती हूँ कि उन्हें अपने प्रयासों में सफलता मिले। मुझे विश्वास है कि अपने समर्पण और पूर्ण सहयोग से ***''माई होम इंडिया''*** कई ऐसे बेसहारा और अभागे बच्चों को उनके अभिभावकों से मिलवाने में सफल होगा तथा भाइचारे के साथ देश में सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर देश का भला करेगा।

धन्यवाद ।

———